

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-12/3/16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के पत्रांक- 400, दिनांक- 22.02.2016 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। वार्ड नं०- 48 में पेय जलापूर्ति की गंभीर समस्या को देखते हुए विचारोपरांत बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा उक्त योजना पर दिये गये तकनीकी स्वीकृति के आलोक में निम्नवत् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू० में)

क्र०	नगर निकायों का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	पटना नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना।	74.21300	74.21300

- इस संबंध में राज्यादेश एवं आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से चालू हो रही "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत योजना के दिशा निर्देश के आलोक में कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

16.3.16
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के पत्रांक- 400, दिनांक- 22.02.2016 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। वार्ड नं०- 48 में पेय जलापूर्ति की गंभीर समस्या को देखते हुए विचारोपरांत बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा उक्त योजना पर दिये गये तकनीकी स्वीकृति के आलोक में निम्नवत् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू० में)

क्र०	नगर निकायों का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	पटना नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 48 के राय हसनपुर चॉई टोला में नये जलापूर्ति केन्द्र तथा नये पाईप लाईन बिछाने की योजना।	74.21300	74.21300

- इस संबंध में राज्यादेश एवं आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से चालू हो रही "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत योजना के दिशा निर्देश के आलोक में कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-03/2015 1950 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 17/3/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.16
सरकार के विशेष सचिव।